राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या	अपीलार्थी	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता	प्रस्तुत करने की दिनांक
1. 2802/2025	हुकुम चन्द शर्मा	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शासन सचिवालय एवं अन्य।	के.सी. शर्मा	14.05.2025
2. 2803/2025	सूरजी बाई			

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2802/2024 हुकुम चन्द शर्मा बनाम शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शासन सचिवालय एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति कार्य. प्रभा, चौकीदार के पद पर दिनांक 01.10.1969 को हुई थी तथा पम्प चालक के पद पर दिनांक 13.09.1978 को पदोन्नति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 12.09.2014 को वरियता सूची जारी की गई। उक्त वरियता सूची की पृष्ठ संख्या 11 की क्रम संख्या 2 पर अपीलार्थी का नाम अंकित है तथा पेज संख्या 10 पर श्री रामबाबू शर्मा का नाम क्रम संख्या 11 पर अंकित है एवं नियुक्ति तिथि 02.02.1972 है एवं श्री दामोदर प्रसाद का नाम क्रम संख्या 13 पर अंकित है एवं उसकी नियुक्ति तिथि 09.02.1974 अंकित है। उक्त दोंनो कर्मचारी अपीलार्थी से कनिष्ठ है। परन्तु उक्त दोनो कर्मचारियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चयनित वेतनमान का लाभ एक ही स्केल में दिये जाने के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलम्बन लेते हुए 09, 18 एवं 27 वर्ष का चयनित वेतनमान अलग–अलग वेतन श्रृंखला में दिये

जाने का आदेश पारित किया और उक्त निर्णय के अनुसार उक्त दोनों कार्मिकों को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमा वेतन श्रृंखला 5000–8000 एवं 5500–9000 में निर्धारत किया। जबकि अपीलार्थी को को 09, 18 एवं 27 वर्ष का वेतनमान 4000–6000, 4000–6000 एवं 5000–8000 में निर्धारित किया गया, जो नियमों के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 7800/2019 घनश्याम बनाम राजस्थान सरकार में यह निर्णय दिया कि यदि कर्मचारियों को अगर आईसोलेटेड पद है तो उसे उच्च श्रृंखला का वेतन दिया जावे और इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्च के आधार पर अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला 5500–9000 प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, परन्तु कोई निराकरण नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान 5500–9000 में वेतन फिक्स किया जाकर समस्त एरियर सहित 9 प्रतिशित वार्षिक ब्याज की दर राशि का भुगतान किया जावे।

4. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 2802/2024 हुकुम चन्द शर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शासन सचिवालय एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य